



भारत प्रतिभूति मुद्रणालय INDIA SECURITY PRESS



नाशिक रोड - 422101(महाराष्ट्र) / NASHIK ROAD - 422101 (MAHARASHTRA)

(भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई / A UNIT OF SECURITY PRINTING & MINTING CORPORATION OF INDIA LTD.)

भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन / WHOLLY OWNED BY GOVERNMENT OF INDIA

(आई एस ओ - 9001 : 2015 एवं 14001 : 2015 प्रमाणित कंपनी / ISO - 9001 : 2015 & 14001 : 2015 Certified Company)

मिनिरात्र श्रेणी-I, सीपीएसई / Miniratna Category - I, CPSE

फोन / PHONE : +91-253-2402200

फैक्स / FAX : +91-253-2462718

CIN : U22213DL2006GOI144763

वेबसाइट / website : https://ispnasik.spmcil.com

ई-मेल / e-mail : isp@spmcil.com

फाइल सं : एसवाई -15-23(23)/2018/ 10462

दिनांक : 12 MAR 2019

सेवा में,

मे. श्रि सर्विसेस

एम- 5, ड्रीम मिनी मार्केट,

ओप. एसटी. फिलोमीना स्कूल, जेल रोड

नाशिक रोड:- 422101

विषय: लेटर ऑफ ईटेंट को रद्द करने हेतु और फ़र्म को प्रतिबंधित (Banned) और ब्लैक लिस्ट (Blacklist) करने के संबंध में।

संदर्भ : लेटर ऑफ ईटेंट सं. SY-15-23(23)/2018/6058 दिनांक 06.10.2018


महोदय,

उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है की लेटर ऑफ ईटेंट सं. SY-15-23(23)/2018/6058 दिनांक 06.10.2018 फॉर इन्स्युलेशन अँड क्लैडिंग ऑफ चिल्ड वॉटर पाइप्स एट इंडिया सिक्युरिटी प्रैस के संदर्भ में अनेको बार अनुस्मरण कराने के बाद भी उपरोक्त फ़र्म प्रतिभूति जमा (Security Deposit) और सेवाए देने में आप असफल रही है।

2. चूंकि, लेटर ऑफ ईटेंट एवं निविदा के नियम व शर्तों के अनुसार उक्त प्रतिभूति जमा (Security Deposit) और सेवाए देने में असफल होने के कारण लेटर ऑफ ईटेंट सं. SY-15-23(23)/2018/6058 दिनांक 06.10.2018 को एतदद्वारा 'खामियों और लेटर ऑफ ईटेंट का उल्लंघन' पर रद्द कर दिया गया है। आगे, इसके अलावा, आपको 18.03.2019 इस तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. (SPMCIL) तथा इसकी सभी अधिनस्थ इकाईयो द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले निविदा (Tender) प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए मेसर्स श्रि सर्विसेस, नाशिक रोड को अयोग्य घोषित करते हुए प्रतिबंधित (Banned) और ब्लैक लिस्ट (Blacklist) किया जाता है और इसके अलावा आपकी जमा की हुई बयाना राशि (Earnest Money Deposit) रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) की जप्ती (forfeit) की जाती है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।

भवदीय,


(दीपक वर्मा)

उप प्रबंधक (तकनीकी)/क्रय

कुर्त महाप्रबंधक

प्रति:-

- 1) अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशिका, निगम मुख्यालय, भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि., नई दिल्ली।
- 2) मुख्य सतर्कता अधिकारी, भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि., नई दिल्ली।
- 3) निदेशक (तकनीकी), निदेशक (मानव संसाधन) और निदेशक (वित्त)।
- 4) महाप्रबंधक, भारत सरकार टकसाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा।
- 5) महाप्रबंधक, प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद।
- 6) महाप्रबंधक, चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नाशिक।
- 7) महाप्रबंधक, बैंक नोट प्रैस, देवास।
- 8) महाप्रबंधक, सिक्कुरीटी प्रिंटिंग प्रैस, हैदराबाद।
- 9) महाप्रबंधक, अनुसंधान और विकास, नाशिक।
- 10) महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी, हैदराबाद।